

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1 से 3

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) योजना अंतर्गत केन्द्रांश ₹ 1058.20 लाख तथा राज्यांश ₹ 976.80 लाख कुल ₹ 2035.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,35,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

गौरेला आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु इस वर्ष ₹ 250.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,50,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

जिला धमतरी विकासखण्ड कुरुद की भखारा भठेली जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत राशि ₹ 917.43 लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु ₹ 100 प्रतीक प्रावधान किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

जिला धमतरी विकासखण्ड मगरलोड की भैसमुडी जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत राशि ₹ 1059.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु ₹ 100 प्रतीक प्रावधान किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।